

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2016—फाल्गुन 28, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2016

क्र. 4741-80-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## MADHYA PRADESH BILL

No. 4 OF 2016

**THE MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) VIDHEYAK , 2016****A Bill Further to amend the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

**Short title and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**Amendment of Section 8.**

2. In Section 8 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995), in sub-section (3), for the words "within sixty days", the words "within one working day" shall be substituted.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to implement the tax proposals contained in part II of speech delivered by the Finance Minister while presenting the budget in the Legislative Assembly for year 2016-17, necessary amendment is to be made in the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995).

2. Hence this Bill.


Bhopal :  
Dated the 16<sup>th</sup> March, 2016.

JAYANT MALAIYA  
Member-in-Charge.


Citizen Charter - <http://www.mptax.mp.gov.in/>

Path : Home >> Departmental Information >> Citizen Charter

**Department of Commercial Tax**  
Government of Madhya Pradesh  
(VAT, CST, ET, PT, LEAT)



**वाणिज्यिक कर विभाग**  
मध्य प्रदेश शासन  
(वैट, सीएसटी, ईटी, पीटी, एलईएटी)

Go to New Version |  A-Z A A A

Site Search

---

**General** | **Acts** | **Citizen Charter** | **Statistics** | **Current News** | **Tenders/Offers**

You are here: [Home](#) >> Citizen Charter

सीटीजन चार्टर

क्र.सं.	कार्य / गतिविधि / योजना का नाम	सहकारी / विहित अधिकारी	निर्धारित समय सीमा	की निर्धारित समयवधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसका पदनाम	शिकायत निराकरण हेतु समय सीमा
1	स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना	वाणिज्यिक कर अधिकारी	1 दिन	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
2	उत्पादन प्रमाण पत्र में संशोधन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	30 दिन	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
3	कर समशोधन प्रमाण पत्र जारी किया जाता	वाणिज्यिक कर अधिकारी	30 दिन	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
4	घोषणा पत्र फार्म सी तथा फार्म एक जारी किया जाता	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2 दिन	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
5	प्रमाणित प्रतिनिधियों का प्रदाय	वाणिज्यिक कर अधिकारी		सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
	(अ) सामान्य आवेदन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	4 दिन	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
	(ब) तुरत (अननस्ट)	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2 दिन	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन
6	कारसी आदेश जारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी / सहायक आयुक्त	60 दिन (कर निर्धारण आदेश के बाद)	सहायक उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	14 दिन

टीप.- यदि शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित समयवधि में शिकायत का निराकरण नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विभाग के आयुक्त को आवेदन दिया जा सकता है। अथवा आवेदक मुख्यालय को सीधे ई-मेल [commissioner.ho@mptax.mp.gov.in](mailto:commissioner.ho@mptax.mp.gov.in) पर अपनी शिकायत कर सकेगा।

[Back](#)

**HELPDESK NUMBER**

For website related queries, please call on this number during working hours between (10:30AM to 5:30PM) and email id for helpdesk is- [helpdesk.mpct@mptax.mp.gov.in](mailto:helpdesk.mpct@mptax.mp.gov.in)

0731-2434005

9425912502(SMS Only)

18002330440(Toll Free No)